# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0**
**अपील संख्याः—146/2017 (2017/00146)223/मसूदा**

**गोपाल दत्तक पुत्र जुवारा जाति गुर्जर (मृतक) जरिये वारिसानः—**
**1/1 श्रीमती सायरी बेवा गोपाल जाति गुर्जर**
**1/2 श्रीमती मंजू पुत्री गोपाल जाति गुर्जर**
**1/3 श्रीमती चुका पुत्री गोपाल जाति गुर्जर**
**1/4 मास्टर हनुमान पुत्र गोपाल जाति गुर्जर नाबालिग**
**1/5 मास्टर गिरधारी पुत्र गोपाल जाति गुर्जर नाबालिग**
**1/6 भोली पुत्री गोपाल जाति गुर्जर नाबालिग**
**समस्त निवासी गॉव खुटिया तहसील विजयनगर जिला अजमेर। क्रम संख्या 1/4 से 1/6 नाबालिगान जरिये बसरबराही माता श्रीमती सायरी बेवा गोपाल जाति गुर्जर निवासी गॉव खुटियॉ तहसील विजयनगर।**

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. **गणेश पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम खूटियॉ तहसील विजयनगर जिला अजमेर।**
2. **राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, विजयनगर जिला अजमेर।**
3. **हल्का पटवारी, हल्का ग्राम जालिया दोयम तहसील विजयनगर।**
4. **उप पंजीयक विजयनगर जिला अजमेर।**
5. **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर।**
6. **राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अजमेर ।**
7. **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,शाखा विजयनगर जिला अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक।**

**रेस्पोडेन्टस**

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017, वाद संख्या 03/2015 .**

**उपस्थितः—**
1. श्री पंकज गादिया एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सूरज सिंह चौहान एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 07 अनुपस्थित।

## निर्णय

**दिनांकः—30.11.2018**

01. अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के द्वारा वाद संख्या 03/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.4.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादी गणेश ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम जालिया द्वितीय नवसृजित तहसील विजयनगर स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 3749 रकबा 3—10—00 बीघा व 3750 रकबा 3—07—00 बीघा, 3750/1 रकबा 1—03—00 बीघा तथा 3751/1 रकबा 1—05—00 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 12—15—00 बीघा भूमि स्वर्गीय जवारा एवं उसके भाई लम्मण पुत्र अुर्जर निवास ग्राम खूॅटियॉ तत्कालिन तहसील ब्यावर की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमियॉ थी। जवारा का भाई लक्ष्मण कंवारा ही मर गया था इसलिए उसका एक मात्र वारिस जवारा वल्द अुर्जन ही विवादित

आराजी में तन्हा रूप से काबिज काश्त हो कर इनमें खातेदार हो गया। जवारा की मृत्यु दिनांक 07.11.2005 को तथा उसकी बेवा पत्नि गलकू की मृत्यु दिनांक 29.03.2008 को हो चुकी हैं। जवारा के कोई जायन्दा सन्तान नही थी अतः स्वर्गीय जवारा एवं उसकी पत्नि गलकू की सेवा चाकरी एवं फरमा बरदारी वादी के कंवारे रहते तथा शादी के बाद से सपरिवार करते चले आये हैं जिससे संतुष्ट होकर जवारा ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा एवं पूर्ण स्वंस्थ्य मन स्थित में श्री जमना लाल शर्मा अधिवक्ता, विजयनगर से रूबरू गवाहान विवादित आराजियात बाबत् एक वसियतनामा तैयार करवा कर ना केवल दिनांक 08.07.1994 को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया वरन् इसी दिवस को उप–पंजीयक, विजयनगर के यहॉ पंजीबद्ध करवा कर वादी को सुपुर्द कर दिया। वसियतनामें का 10/–रूपये का स्टाफ स्वंय जवारा ने अधिवक्ता श्रीजमना लाल शर्मा के जरिये खरीद किया था। वसियत किये जाने की दिनांक से वादी जवारा के जीवनकाल से ही उसके साथ सयुक्त रूप से काबिज काश्त चला आ रहा हैं। जवारा की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने जान बूझकर राजस्व कर्मियो से मिली भगत करके वादी के पक्ष में जवारा द्वारा निष्पादित वसियतनामा के तथ्य को छुपाते हुए बिना वादी को सूचित किये गुपचुप तरीके से नामान्तकरण संख्या 402 में जवारा की पत्नि गलकू के साथ अपना नाम जवारा का दत्तक पुत्र बताते हुए लगवा लिया । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 ने आराजी खसरा नम्बर 3749 रकबा 3–10–00 एवं 3750/1 रकबा 01–03–00 व 3751मि. रकबा 1–05–00 कुल रकबा 5–18–00 बीघा जो गैर खातेदार में थी उसकी खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 415 में गलकू के साथ अपना नाम बतौर जवारा के दत्तक पुत्र से लगवा लिया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 ने इसी प्रकार गुपचुप तरीके से खातेदार स्वर्गीय जवारा एवं लक्ष्मण की विरासत से स्वर्गीय ज्वारा की पत्नि गलकू के नाम लगी आराजियात खसरा नम्बर 3749 रकबा 3–10–00 तथा खसरा नम्बर 3750 रकबा 3–07–00 बीघा में अपने नाम नामान्तकरण संख्या 728 स्वीकृत करवा लिया हैं जबकि जवारा एवं उसकी पत्नि गलकू ने प्रतिवादी संख्या 01 को कभी भी गोद नहीं लिया और ना ही गुर्जर समाज में प्रचलित गोद संबंधी रस्म सम्पन्न हुई तथा ना ही विधिक तौर पर दस्तावेज निष्पादित किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वादी जो कि शांति प्रिय एवं कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं इन आराजियात बाबत् अपने विधिक अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से ही संरक्षित रख सकता है। इसलिए मौजूदा वाद दायर करना पड़ा हैं। न्यायालय से वाद को स्वीकार कर विवादित आराजियात में केवल वादी ही खातेदार काश्तकार हैं और राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 व 7 बैं के पक्ष में जो इन्द्राजात किये गये हैं गलत है एवं अवैध हैं। विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 व 7 के स्थान पर वादी का नाम बहैसियत खातेदार लगाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को दिनांक 19.04.2017 को आंशिक स्वीकार किया । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 दौराने बहस उपस्थित नहीं किन्तु बाद में लिखित बहस प्रस्तुत हैं, जो सलंग्न पत्रावली हैं। तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि जुवारा ने अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि की सहमति से प्रतिवाद संख्या 01 को बचपन में ही गोद ले लिया था व प्रतिवाद संख्या 01 को विवाह भी जुवारा व उसकीपत्नि ने ही किया था जिस बाबत दिनांक 20.08.2001 को गोदनाम का स्टाम्प खरीद कर व गोदनामा का दस्तावेज लिखवाकर जुवारा व उसकी पत्नि श्रीमती गलकू व प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा माता पिता व प्रतिवाद संख्या 01 के फोटो चित्र चस्पा कर व जुवारा, गलकू, घासी, हीरी ने अपनी अंगूठा निशानी व गोपाल ने अपने हस्ताक्षर कर उक्त गोदनामा के दस्तावेज को उपंपजीयक, विजयनगर के यहॉ पर पंजीकृत करवा। जुवारा ने उक्त गोदानामा में अपनी तमाम चल व अचल सम्पति प्रतिवादी संख्या 01 गोपाल को देना लिखकर स्वीकार किया है के बाजवूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने फर्जी व बिना अधिकार के निष्पादित वसीयतनामा को यही मानकर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 01

वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने भी प्रतिवादी संख्या 07 से ऋण प्राप्त कर रखा है व प्रतिवादी संख्या 07 ने भी सही तरह की जानकारी कर प्रविादी संख्या 01 को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार व काबिज मानते हुए उस ऋण अदा किया व वादग्रस्त भूमि बैंक में रहन रखी हुई जिसकी जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद भी रहनयुक्त भूमि वादी को खातेदारी में देने बाबत् गलत व विधि निर्णय व डिक्री पारित किया गया हैं जो विधि सम्मत नही है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जब तलबी प्रतिवादी संख्या 05 व0 6 हेतु मुकर्रर थी तो उन्हे बिना तलब किये व उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये व बिना उन्हे गिव अप किये पारित किया गया निर्णय व डिक्री पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा दिनांक 30.09.2016 पेश आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 व धारा 5 मियाद अधिनियम मे अंकित वारिसान को नोटिस जारी किये बिना व बिना तामिल कराये। आवेदन पत्र में मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान क्रमशः 1/2 से 1/6 नाबालिगान है एवम् नाबालिगान के सरंक्षक नियुक्त बाबत् आवेदन आदेश 22 नियम 3 जाप्ता दीवानी को कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया व नही नाबालिगान के वली को आदेश 32 नियम 3 के नोटिस जारी किये ही मनमाने रूप से उक्त आवेदन पत्र को दिनांक 11.01.2017 को स्वीकार कर कर लिया गया। जो विधि सम्मत नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2017 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के वकील की ओर से हिदायत पैरवी नही का कथन करने व प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान के उपस्थित न रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर कानूनी भूल की हैं जबकि पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान के की ओर से कोई वकील ही नियुक्त नही किया गया व न ही दिनांक 24.03.2017 के आदेश में किसी विद्वान वकील ने हिदायत पैरवी नहीं हो अभिकथित किया का अंकन है व न ही प्रोसिडिंग में कथित वकील के द्वारा यह लिखा गया है कि हिदायत पैरवी नहीं, व न ही उन अभिभाषक के हस्ताक्षर हैं अतएंव सारी प्रोसिडिंग ही गलत व गैरकानूनी व संदिग्ध प्रमाणित है। दिनांक 24.03.2017 को संशोधित उनवान पेश किया जाना अभिकथित किया है किन्तु वास्तविकता में उस दिवस को संशोधित उनवान पेश ही नही किया व यदि पेश किया जाता हैं तो उपस्थित प्रतिवादीगण के वकील को उसकी प्रतिलिपि दी जाती किन्तु ऐसी कोई प्रतिलिपि के अभिभाषक को दिया जाना प्रमाणित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयत वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3749 रकबा 3–10–00 बीघा एवं 3750/1 रकबा 01–03–00 बीघा व 3751 रकबा 01–05–00 बीघा कुल रकबा 5–18–00 बीघ के जवारा व लक्ष्मण राजस्व अभिलेखों मे बतौर गैरखातेदार अंकित थे एवम् लक्ष्मण के हिस्से की आराजी जवारा के नाम अंकित नही थी अतएवं जवारा को कथित वसीयत करने का कोई अधिकार ही नही था इसी तरह अन्य आराजी खसरा नम्बर 3749 रकबा 03–10–00 व 3750 रकबा 03–00–00 बीघा का भी अकेला खातेदार जवारा नही था । हांलाकि कथित वसीयत फर्जी व कटूरचित हैं किन्तु अपीलार्थी को फर्जी व कटूरचित सिद्ध करने अथवा अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने का अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य हैं। न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर जवाब, साक्ष्य का अवसर दिये जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 में केवल पत्रावली पर विद्यमान मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सन्तुलन के सर्वथा विपरीत है वरन् विधिक प्रावधानों, प्रतिपादित सिद्धान्तो, न्यायिक दृष्टांतो व न्यायिक प्रक्रिया के भी प्रतिकूल हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक व विधिक दोनो ही स्थिति में सर्वथा प्रतिकूल होने के साथ साथ गलत, आधारहीन व विधि विरूद्ध होने से व न तो न्याय संगत व न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुकूल ही है एवं अंत में अभिकथन किया है कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान 1/2 से 1/6 नाबालिगान हैं एव नाबालिगान का संरक्षक नियुक्ति किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय

ने मनमाना आदेश पारित करते हुए हड़बड़ी में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसानों की ओर से कोई अभिभाषक नियुक्त नही किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथमदृष्टया मियाद बाहर प्रस्तुत करने के कारण मियाद अधिनियम के प्रावधानानुसार खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादी संया 01 की मृत्यु की जानकारी के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 09 सपठित धारा 151 प्रस्तुत कर मृतक गोपाल प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसानों को नोटिस प्रेषित करवाये गयें एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसानों को नोटिस पर्याप्त रूप से तामिल होकर दिनांक 15.02.2017 को प्राप्त हुए एवं उनकी ओर से व स्वंय या उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 24.03.2017 को उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उसके पश्चात दिनांक 24.03.2017 को ही प्रकरण में जवाब/प्रतिरक्ष न हाने के कारण प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत किया गया एवं दिनांक 12.04.2017 को साक्ष्य वादी ली जाकर प्रकरण की बहस सुनी जाकर प्रकरण का दिनांक 19.04.2017 को पूर्णतः गुणावगुण पर निर्णित किया गया हैं जिसमें किसी भी प्रकर की कोई विधिक प्रावधानों, प्रतिपातिद सिद्धान्तो, परिपाठियों व न्यायिक दृष्टांतों व न्यायिक प्रक्रिया के प्रतिकूल नही रही व ना ही तथात्मक विधिक दोनो ही स्थिति में सर्वथा प्रतिकूल डिक्री/निर्णय हैं बल्कि पूर्णतः पत्रावली पर उपलबध तथात्मक व विणिध दोनो ही स्थितियों के अनुकूल निर्णय व डिक्री पारित किया गया हैं । अपीलांट ने वसीयतनामा को फर्जी व कटूरचित होने के अभिकथन किये हैं एवं जहॉ फर्जी एवं कटूरचित दस्तावेज के अभिकथन किये जाते है उस स्थिति मे दस्तावेज के संदर्भ में स्वंय प्रतिवादी संख्या 01 ने नोटिस/सम्मन प्राप्ति के पश्चात सक्षम सिविल न्यायायलय से उक्त दस्तावेज को रद्द एवं निरस्त करवाये जाने बाबत् आज दिवस तक कोई कार्यवाही नही की गई एवं उक्त वसीयत की पूर्व में ही अपीलांट को जानकारी थी। उक्त वसीयतनामा के स्वतंत्र गवाहां ने भी अधीनस्थ न्यायालय के समख उपस्थित होकर सही होना अभिकथन किया हैं। गोपाल के वारिसानों ने स्वंय अभिकथन किया कि जवारा व उसकी पत्नि गलकू ने गोपाल को दिनांक 2.08.2001 को गोद ले लिया था। जबकि हिन्दु दत्तक तथा भरथ पोषण अधिनियम की धारा 10 उप धारा 04 के प्रावधानों के तहत् दत्तक लिये वाले व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए जबकि उक्त तथाकथत गोदनामा के समय गोपाल की आयु लगभग 27 वर्ष थी। इस प्रकार तथाकथित गोदानामा विधि के विरूद्ध होने के कारण प्रथमदृष्टया ही अवैध व प्रभावशून्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर गोपाल या उसके वारिसान को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हुए है व ना ही हो सकत है। जवारा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया गया हैं एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा के लगभग 11 वर्षो के बाद उसकी मृत्यु हुई एवं मृत्यु के समय उपरोक्त वादग्रस्त वसीयतकर्ता जवारा की खातेदार की भूमियॉ थी एवं वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावशील होती हैं एवं उपरोक्त विधि के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमियां के बाबत् जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है। न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का एवं प्रस्तुत नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य सही है कि वादी जो कि वाद पत्र वसीयतनामा के आधार पर लेकर आया एवं प्रतिवादी संख्या 01 जो कि अपने आप को गोदपुत्र बताया है के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि उनके समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. जो प्रस्तुत किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं कब प्रस्तुत किया है उसका प्रजेन्टेशन नहीं हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 गोपाल के नाबालिग वारिसान के नोटिस, नाबालिग द्वारा प्राप्त किया गया बताया गया हैं जबकि नाबालिग द्वारा की गई तामिल जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 15 अनुसार विधि सम्मत नही है। जिससे प्रतीत होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय में शीघ्रता दिखाई है जबकि उनको प्रकरण में पुनः नोटिस जारी किये जाने थे जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 07 भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा विजयनगर जिला अजमेर से उक्त भूमि को रहन रख कर ऋण प्राप्त किया गया हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान को बिना साक्ष्य व

सुनवाई के निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही हैं। उक्तानुसार तथ्यात्मक एवं कानूनी विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे प्रकरण में पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का आवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 व संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2017 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनःउभयपक्षों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का आवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

**(बी.एल.मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकरी,**
**अजमेर**

8. आदेश आज दिनाक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(बी.एल.मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकरी,**
**अजमेर**